

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./चारा/2009-10/16833-88 जयपुर, दिनांक 31-7-2010
जिला कलेक्टर,

अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सीकर, सिरौही, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़।

विषय:- अभाव संवत् 2066 में अभावग्रस्त जिलों में संचालित पशु संरक्षण गतिविधियों के संबंध में।


महोदय,

इस विभाग के पत्रांक एफ 5(1)आ.प्र.एवं स.आ./चारा/2009'10/16833-88 दिनांक 14.7.2010 द्वारा अभावग्रस्त जिलों में पशु संरक्षण गतिविधियां संचालित रखने की अवधि 31 जुलाई, 2010 तक बढ़ाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

अब राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त जिलों में संचालित पशु संरक्षण सम्बन्धी सभी गतिविधियों को दिनांक 31.7.2010 से बन्द किये जाने का निर्णय लिया है।


अतः तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कर पालना से राज्य सरकार को अवगत करावें।

भवदीय,


शासन सचिव 31/7/10

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्री।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
11. प्रबन्ध संचालक, राज0 राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन, राज0, जयपुर/प्रबन्ध संचालक, राज0 क्रय-विक्रय संघ, जयपुर।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
13. अध्यक्ष, राज0 गौसेवा आयोग, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
15. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।


शासन उप सचिव